न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 11/2021

राजस्थान सरकार जरिये, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री नारायण सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह

निवासी भावानीखेडा, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 07.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.2021 को श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी एवं श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी के साथ भवानीखेडा, तहसील नसीराबाद में श्री नारायण सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह की दुकान पर पहुँचे। श्री नारायण सिंह के विरूद्व मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल 181 पर निरंतर इस आशय की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि उसके द्वारा ग्राम भवानीखेडा में डीजल और पैट्रोल की अवैध बिक्री की जा रही है। वक्त जांच मौके पर उसकी दुकान में एक प्लास्टिक जरिकेन में 30 लीटर पैट्रोल और 3 प्लास्टिक जरिकेन में क्रमशः 50 ली, 50 ली0, 20 ली0 कुल 120 ली0 डीजल भरा हुआ पाया गया । डीजल पैट्रोल कि बिक्री के लिए आवश्यक माप हेतु 10 ली0, 5 ली0, के एक–एक 2 ली0 के दो माप 1 ली0 एवं 1/2 के माप मौके से बरामद हुए । साथ ही 2 कीप और एक पाईप तथा पांच खाली जरिकेन भी पाए गये। वक्त जांच प्रथम दृष्टया अवलोकन पर यहां पैट्रोल डीजल के अवैध व्यवसाय की पुष्टि हुई है। इस बाबत श्री नारायण सिंह ने भी पैट्रोल डीजल का व्यवसाय करना स्वीकार किया । उसके अनुार 108 रूपये लीटर में पैट्रोल खरीद कर उसे 115 रूपये प्रति लीटर में बेचना स्वीकार किया तथा डीजल 98 रूपये प्रतिलीटर में खरीद कर 105 रूपये प्रति लीटर में बेचने की पुष्टि की है । उक्त भण्डारित पैट्रोल डीजल नसीराबाद पैट्रोल पम्प से खरीदना बताया श्री नारायण सिंह के पास इस पैट्रोल और डीजल की बिक्री के लिए कोई प्राधिकृत लाईसेंस अथवा अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई। शिकायत सही पाये जाने पर तथा बिना सक्षम अनुज्ञा पत्र के डीजल पैट्रोल की अवैध बिक्री किये जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा राजहित में 120 लीटर डीजल, 30 लीटर पैट्रोल मय 3 जरिकेन, 5 खाली जेरिकेन, 1

जिला कलक्टर,
अजमेर

पाईप, 6 माप, 2 कीप कब्जेराज लिये जाकर श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री सुरजमल जैन निवासी भावानीखेडा, तहसील नसीराबाद को अग्रीम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गये। सुपुर्दगी नामा पृथक से तैयार किया गया । श्री नारायण सिंह का यह कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 3 के सब क्लाज (4) (5) (6) एवं (7) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि ई सी एक्ट 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित । अप्रार्थी को पर्याप्त समय दिए जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही करने से पैरोकार सरकार ने सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 17.06.2021 को श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी एवं श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी के साथ भवानीखेडा, तहसील नसीराबाद में श्री नारायण सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह की दुकान पर पहुॅचे। श्री नारायण सिंह के विरूद्व मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल 181 पर निरंतर इस आशय की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि उसके द्वारा ग्राम भवानीखेडा में डीजल और पैट्रोल की अवैध बिक्री की जा रही है। वक्त जांच मौके पर उसकी दुकान में एक प्लास्टिक जरिकेन में 30 लीटर पैट्रोल और 3 प्लास्टिक जरिकेन में क्रमशः 50 ली, 50 ली0, 20 ली0 कुल 120 ली0 डीजल भरा हुआ पाया गया । डीजल पैट्रोल कि बिक्री के लिए आवश्यक माप हेतु 10 ली0, 5 ली0, के एक–एक 2 ली0 के दो माप 1 ली0 एवं 1/2 के माप मौके से बरामद हुए । साथ ही 2 कीप और एक पाईप तथा पांच खाली जरिकेन भी पाए गये। वक्त जांच प्रथम दृष्टया अवलोकन पर यहां पैट्रोल डीजल के अवैध व्यवसाय की पुष्टि हुई है। इस बाबत श्री नारायण सिंह ने भी पैट्रोल डीजल का व्यवसाय करना स्वीकार किया । शिकायत सही पाये जाने पर तथा बिना सक्षम अनुज्ञा पत्र के डीजल पैट्रोल की अवैध बिक्री किये जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा राजहित में 120 लीटर डीजल, 30 लीटर पैट्रोल मय 3 जरिकेन, 5 खाली जेरिकेन, 1 पाईप, 6 माह, 2 कीप कब्जेराज लिये जाकर श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री सुरजमल जैन निवाससी भावानीखेडा, तहसील नसीराबाद को अग्रीम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गये। सुपुर्दगी नामा पृथक से तैयार किया गया । श्री नारायण सिंह का यह कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 3 के सब क्लाज (4) (5) (6) एवं (7) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि ई सी एक्ट 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये 120 लीटर डीजल, 30 लीटर पैट्रोल मय 3 जरिकेन, 5 खाली जेरिकेन, 1 पाईप, 6 माह, 2 कीप 120 लीटर डीजल, 30 लीटर पैट्रोल मय 3 जरिकेन, 5 खाली जेरिकेन, 1 पाईप, 6 माप, 2 कीप को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी की ओर से श्री सुधीर सिह ने दिनांक 5.4.2022 को अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया गया । अप्रार्थी के द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत नही किए जाने से जवाब बन्द किया गया ।

जिला कलक्टर,
अजमेर